तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/9/2024	पत्रा. पेश हुई। बहस सुनी। प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 144 भा.ना.सु.सं. के तहत सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर होवे।

नकल प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि निर्णय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

780

राजस्व अपील संख्या :— 124/24 (225 आर.टी.एक्ट)

जीसीएमएस नम्बर :— 2024/368

उनवान

1. रामकुमार पुत्र बृजलाल
2. प्रेमचंद पुत्र बृजलाल
3. ग्यासो बेवा बृजलाल
4. हरदयाल पुत्र रामहरी
5. बृजमोहन पुत्र मनीराम
6. बाबूलाल पुत्र मनीराम
7. प्रकाश पुत्र मनीराम
8. लक्ष्मणप्रसाद पुत्र सूरजमल
9. ठाकुरलाल पुत्र सूरजमल
10. रामकुंवर पुत्र सूरजमल

जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

.......अपीलान्ट्स

वनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री किस्तूरी बेवा भगवान जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर ख्वासपुर तहसील नदवई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार।

.........रेस्पोडेन्ट्स

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 1/2014 बउनवानी रामकुमार बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलाण्ट्स श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.09.2025

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 1/2014 बउनवानी रामकुमार वनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2024 प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का इस आशय से पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 336/0.41 है. वाके ग्राम खवासपुर मनोहरपुर तहसील नदबई में स्थित है, जो साबिक खसरा नम्बर 247 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा से बनाया गया है। विवादित आराजी पर चले आ रहे इन्द्राज गैरखातेदारी मुस0 किस्तूरी व वर्तमान में ओमप्रकाश अप्रार्थी सं. 1 निरस्त कर कर उक्त आराजी सिवायचक अंकित की जावे एवं प्रार्थीगण के आवंटन दिनांक 30.06.1998 के आधार पर उक्त रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा में से 8 बिस्वा पर नामान्तरकरण स्वीकार फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.2024 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी हाल नम्बर 336 रकबा 0.41 है. वाके ग्राम खवासपुर, मनोहरपुर तहसील नदबई स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 247 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा से बना है। साबिक खसरा नम्बर 247 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वादी की दत्तक माता किस्तुरी बेवा भगवान जाति ब्राह्मण को आवंटन हुआ था। इसका आवंटन दिनांक 01.11.1979 को रेस्पोडेन्ट्स की माताजी श्रीमती किस्तूरी बेवा भगवान को हुआ था। इस आवंटन आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर दिनांक 12.01.1983 को उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया। किस्तुरी द्वारा उक्त दिनांक 12.01.1983 की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की थी जो दिनांक 24.08.1990 को खारिज हो चुका है। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 336/0.41 मनोहरपुर का आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1979 निरस्त हो जाने के बाद आराजी कानूनन पुनः सिबायचक हो गई मगर किस्तूरी के नाम इन्द्राज गैरखातेदारी बदस्तूर चलते रहे। वे बंदोवस्त कार्यवाही के दौरान किस्तूरी के मरने के बाद रेस्पोडेन्ट के विरासतन से अपने नाम इन्द्राज गैरखातेदारी अंकित करा लिये है जो शून्य इन्द्राज है इस प्रकार आदेश तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
(राज.)

नियमों के विपरीत पारित किया गया है जो काबिल खारिजी के है। कानूनन जब आदेश आवंटन दिनांक 01.11.1979 निरस्त हो गया तो उसके आधार पर किये गये इन्द्राज गैरखातेदारी गलत है जिनको धारा 144 सीपीसी के तहत रेस्टोर किया जाना मैन्डेटरी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना प्रार्थना–पत्र अपीलान्ट खारिज करने में कानूनी गलती की है। विवादित आराजी सिवायचक दर्ज की जानी है जो कि आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी के तहत इन्द्राज कर पुनः उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण की जॉच कर कार्यवाही करनी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश ज़ैर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि.अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 निरस्त कर प्रार्थना–पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 336/0.41 ग्राम मनोहरपुर तहसील नदबई के इन्द्राज जमावंदी सिवायचक अंकित फ़रमाये जावे। रेस्पोडेन्ट के नाम इन्द्राज कलमजन किये जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण उक्त कानून के तहत प्रार्थना–पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि विवादित आराजी का आवंटन किया गया तब विवादित आराजी सिवायचक एवं राजस्थान में निहित थी ऐसी स्थिति में वे ही व्यक्ति प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी के तहत देने का अधिकारी है जिसके सिवायचक से पूर्व इन्द्राजात मौजूद थे तथा प्रार्थीगण का आवंटन तिथि से पूर्व उक्त आराजी पर खातेदारी का अंकन नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था। आवंटन विनियमन के आदेश दिनांक 01.11.1979 के तहत मु. किस्तूरी के नाम दाखिला खारिज दर्ज किया गया था तथा विवादित आराजी पर कब्जा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की माता के पास था इसी कारण से बिनियमन की कार्यवाही मुझ अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की माता के हक में की गई थी। प्रार्थीगण ने एक वादपत्र सं. 169/13 उनवानी लक्ष्मन प्रसाद वगै. बनाम ओमप्रकाश वगै. एवं राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत उक्त विवादित आराजी के रकबा 8 बिस्वा यानि 0.12 हैक्ट. पर खातेदारी दर्ज कराने हेतु वादपत्र पेश किया तथा उसमें एक प्रार्थना–पत्र सं. 148/13 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिलिपि
प्राधिकारी
पुर (राज.)

रिकॉर्ड मौके की यथास्थिति बनाये रखें इस प्रकार से मुझ अप्रार्थी के प्रार्थना–पत्र सं. 34/13 के तहत प्रार्थीगण को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संबंध में वादपत्र न्यायालय में विचाराधीन है तो प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी मैन्टेनेबिल नहीं था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 25.11.2024 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 निम्न प्रकार है :–

144. प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन (1) जहां कि और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वहां और वहां तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराऐगा जिससे पक्षकार, जहां तक हो सके, उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते यदि वह डिक्री या आदेश या उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपान्तरितः किया गया है न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चों के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकार और अन्तःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो इस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उलटने, अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप में पारिणामिक है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखि हैं–

(क) जहां डिक्री या आदेश में फेरफार या उलटाव अपीली या पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में किया गया है वहां प्रथम बार का न्यायालय;

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(ख) जहां डिक्री या आदेश पृथक वाद में अपास्त किया गया है वहां प्रथम बार का वह न्यायालय जिसने ऐसी डिक्री या आदेश पारित किया था।

(ग) जहां प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रहा है या उसकी उसे निष्पादित करने की अधिकारिता नहीं रही है वहां वह न्यायालय जिसे ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती यदि वह वाद जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया था, इस धारा के अधीन प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन किए जाने के समय संस्थित किया गया होता।

(2) कोई भी वाद कोई ऐसा प्रत्यास्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जाएगा जो उपधारा (1) के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता था।

इस प्रकार धारा 144 सीपीसी के तहत प्रार्थना–पत्र करने हेतु प्रार्थी का उस वाद में पक्षकार होना जरुरी है जिसमें उसके विरुद्ध निर्णय हुआ हों एवं उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का वह निर्णय उलट दिए जाने पर पुनः पूर्व स्थिति बहाल होने पर प्रार्थी के पक्ष में पूर्व स्थिति बहाल हो। लेकिन हस्तगत प्रकरण में आवंटन का प्रकरण था जिसमें भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत भूमि आवंटन की गयी थी एवं वह आवंटन अगर खारिज हो गया तो उसमें अपीलान्ट किसी भी स्थिति में पूर्व में पक्षकार नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रुप से प्रकरण की विस्तृत विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)